अपील सूचना अधिकार संख्या 128/2021 (GCMS 2021/208)(आईटीआई पोर्टल नं. 212 702285122759) तारा चन्द चायल पुत्र महावीर प्रसाद चायल जाति मोची निवासी गल नं. 2, मकान नम्बर 558, तैल्ली मोहल्ला, नजदीक शनि मंदिर, इंदिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर (मोबाइल नम्बर 82391–78791) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.06.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ताराचन्द स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना दिनांक 18.10.2021 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2021 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> प्रार्थी का 1994 में वार्ड नं 11, नजदीक रामदेव मंदिर, मदान आटा चक्की, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के नाम से एक राशन कार्ड जारी हुआ था इसी संबंध में चाही जानकारी
>
> 1. प्रार्थी के राशन कार्ड की एक प्रमाणित प्रतिं
> 2. प्रार्थी के राशन कार्ड की फाईल में लगाए गए तमाम दस्तावेज जैसे प्रार्थना पत्र, पहचान पत्र, सत्यापन पत्र आदि सभी की प्रमाणित प्रति।
> 3. राशन कार्ड की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 6023 दिनांक 22.10.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निम्न सूचना चाही है:
>
> प्रार्थी का 1994 में वार्ड नं 11, नजदीक रामदेव मंदिर, मदान आटा चक्की, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के नाम से एक राशन कार्ड जारी हुआ था इसी संबंध में चाही जानकारी
>
> 1. प्रार्थी के राशन कार्ड की एक प्रमाणित प्रतिं
> 2. प्रार्थी के राशन कार्ड को बनवाने में लगाए गए तमाम दस्तावेज जैसे प्रार्थना पत्र, पहचान पत्र, सत्यापन पत्र आदि सभी की प्रमाणित प्रति।
> 3. राशन कार्ड की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति।
>
> इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आप चाही की सूचना कार्यालय के रिकार्ड में संधारित नही है। सूचना अस्पष्ट है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े संबधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र [illegible]022 (13)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में स्पष्ट किया गया है कि सूचना में "क्यों" प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पैटीशन सं. 419/2007 डा. सेलस पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

माननीय सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के पत्रांक रासूआ / निर्णय / CIC/SGNG/A/2020/104467 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा आरटीआइ द्वितीय अपील संख्या CIC/SGNG/A/2020/104467 निर्णय दिनांक 16.04.2021 में यह निर्णय पारित किया गया कि–सूचनाओं के सन्दर्भ में अधिनियमानुसार बिन्दुवार, सटीक सूचना / विनिश्चय जो प्रत्यर्थी / लोक प्राधिकारी की पहुंच में अभिलेख पर है" उक्त बिन्दु 01 व 02 में चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी की पंहुच में नही है।

अतः माननीय जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के अपील सूचना अधिकारी संख्या 80 / 2020 के द्वारा सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रर्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी को गुंजाईश नही है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना या सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रूप में नही होनी चाहिए चुंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहत नही आता। अतः सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों का अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है

इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है **कि वांछित सूचना उनके कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। आवेदक के कहने पर तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर अपने पत्र दिनांक 22.10.2021 से अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है कि उनके पास वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य हैं

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:41 IST
Reason: SelfAttested